

To,

The Registrar General,  
High Court of Judicature at Allahabad.

Through

The District Judge,  
Varanasi.

**Subject: Compliance of objection raised by Hon'ble Court regarding submission of particulars of House purchased by me and my wife Smt. Manisha Saxena.**

Respected Sir,

It is most respectfully submitted that I had via online portal forwarded the information to the Hon'ble High Court regarding purchase of House No. M02, Ram Ganga Nagar Awasiya Yojna Bareilly, area 98 sq. metres

In compliance of the objection raised by Hon'ble Court, I forward herewith the said information on format in view of circular No. 25/Admin(A), dt 13.07.1998.

I humbly request you to place the aforesaid before the Hon'ble Court for sympathetic consideration.

Yours faithfully,



(Rajat Verma)

Additional and Session Judge/  
Special Judge(Anti Corruption Act)  
Court No. 02 Varanasi.  
JO CODE UP6511

Dated:08.09.2023

**Enclosure:**

Format in view of circular No.25/Admin(A), dt.13/07/1998

Office of the District Judge Varanasi,  
No. 1690/17 Date 08.09.2023  
forwarded.

  
District Judge  
Varanasi

08.09.2023

सेवा में,

महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
वाराणसी।

**विषय: भवन क्रय करने की सूचना।**

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली में लकी झा के आधार पर मुझे रामगंगा विहार आवासीय योजना में आवासीय प्रयोग हेतु भवन संख्या M02 आवंटित हुआ था। जिसका क्षेत्रफल ९८ वर्गमीटर था। उपरोक्त की सूचना मेरे द्वारा पत्रांक दि. ०५.०३.२०१४ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को दी गई थी। दि. २६.०७.२०२३ को बरेली विकास प्राधिकरण बरेली द्वारा मेरे व मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा सक्सेना के पक्ष में उक्त आवास का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर सी.एल. Nior 25/Admin(A) दि. १३.०७.१९९८ के अनुपालन में निम्नलिखित आख्या प्रेषित है:-

१- मैं दिनांक ०२.०२.२००७ को न्यायिक सेवा में आया था।

२- मेरा कुल वेतनमान अंकन २,५०,०८३ रु. है।

३- मैंने न्यायिक सेवा में आने के बाद कोई अचल संपत्ति क्रय नहीं की किंतु पूर्व में एक गैर आवासीय भूखंड मुझे मुझे लकी झा से बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित हुई थी जिसकी सूचना मैं न्यायालय के अपने पत्रांक दि. २२.०६.२०१२ द्वारा दे चुका हूँ।

४- मैंने माननीय उच्च न्यायालय से कोई ऋण नहीं लिया है।

५- मैंने आवासीय भवन आवंटित किए जाने के समय भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा अमरोहा से अंकन २१,००,०००/- रु. ऋण लिया था। ऋण का भुगतान करने के लिए मेरे बचत खाता सं. ३०१७३७८३४८८ से अंकन २३,०००/- रु. की मासिक किश्त भारतीय स्टेट बैंक को अदा की जाती रही है। प्रथम किश्त दि. १३/०३/१५ को अदा की गई थी। पूर्व में अंकन २३,०००/- रु. प्रतिमाह मेरे उक्त खाते से जमा हो रहा था व अब वर्तमान में अंकन २४,६२८/- रु. उक्त खाते से ऋण खाते में जमा किया जा रहा है।

६- प्रस्तर संख्या ६ चल संपत्ति से संबंधित है, अतः वह लागू नहीं होता है।

७- भूखंड का क्षेत्रफल लगभग ९८ वर्गमीटर है तथा वह रामगंगा विहार आवासीय योजना, बरेली में स्थित है।

८- उपरोक्त भवन बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा मुझे व मेरी पत्नी मनीषा सक्सेना को बैनामा दि. २६.०७.२०२३ द्वारा विक्रय किया गया है।

९- बरेली विकास प्राधिकरण बरेली एक सरकारी संस्था है, जिस कारण भूखंड आवंटित कराने अथवा क्रय करने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति नहीं प्राप्त की थी तथा उक्त भवन आवंटित होने के पश्चात माननीय न्यायालय को पत्रांक दि. ०५.०३.२०१४ द्वारा सूचना प्रेषित की थी।

१०- मैं बरेली विकास प्राधिकरण से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं हू तथा उनका कोई मुकदमा मेरे न्यायालय में न तो कभी चला है न अब चल रहा है।

११- मैंने उक्त भवन के आवंटन हेतु आवंटन से पूर्व पंजीकरण धनराशि अंकन २,९१,३००/- रु. , आवंटन धनराशि अंकन ४,३६,९००/- रु., बची हुई धनराशि अंकन ८४,३००/- रु. एवं बकाया धनराशि अंकन ६८,५०३.७२/- रु तथा स्टाम्प व्यय अंकन २०९०७३.६०/- रु. अदा किया था। उपरोक्त संपूर्ण धनराशियों का भुगतान मेरे बचत खाता सं. ३०१७३७८३४८८ से किया गया था। अदा की गई धनराशि की पासबुक की प्रतिलिपि माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकन हेतु संलग्न के रूप में प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्त सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष ससम्मान प्रेषित की जाती है।

सादर।

  
(रजत वर्मा)

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश(भ.नि.अधि.)  
न्यायालय सं. २, वाराणसी।

दिनांक ०८.०९.२०२३